(c) Delhi Administration, which is the executive authority in this matter, has intimated the following steps taken by them:—

(i) While revising fares, State Transport Authority stipulated that autorickshaws and taxi meters shall be recaliberated within three months In pursuance of the aforesaid decision all operators of autorickshaws/taxis have been directed to get the fare meters recaliberated through the Controller, Wieghts & Measures of the Directorate of Industries.

(ii) Special drives have been undertaken jointly by the Enforcement staff of the Directorate of Transport, Delhi Administration and the Controller of Weights & Measures, against the operators and the operators with defective meters have been challaned.

यूनियन टैक्सटाइल कलकत्ता की ओर भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना का बकाया

11074. **श्री हुकमचन्द कछवाय** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यूनियन टैक्सटाइल्स, कलकत्ता ने अपने कर्मचारियों के संबंध में गत तीन वर्षों की भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना निधियां जमा नहीं कराई हैं और यदि हां, तो टैक्सटाइल मिल की ओर कितनी धनराशि बकाया है और उसको वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि 16-2-1979 की स्थिति के अनुसार, मैसर्स यूनियन टैक्सटाइल्स, 16, नूरमल लेन कलकत्ता, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के अधीन नहीं आता है, क्योंकि इसमें बीस से कम व्यक्ति नियोजित हैं ।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने सूचित किया है कि मैसर्स यूनियन टैक्सटाइल्स, लोहिया नूरमल, लेन, कलकत्ता एक "दुकान" है और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के उपबंधों को पश्चिम बंगाल राज्य मे दुकानों पर लागू नहीं किया गया है ।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश द्वारा लगाये गये दौरे

11075. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या संसदीय कार्य तथा श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश ने कितने दिन अपने कार्यालय में काम किया और कितने दिन वह सरकारी दौरे पर बाहर रहे ; और

(ख) इन दौरों की वजह से उन्हें कुल कितनी धनराशि की प्रतिपूर्ति की गई ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह): कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि—

(क) और (ख) मार्च, 1978 से मार्च, 1979 की अवधि के दौरान, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उत्तर प्रदेश सतानवें दिनों के लिए सरकारी दौरे पर रहे और इन दौरों के संबंध में उन्हें यात्रा भत्ते के रूप में 8315.60 रुपए की राशि का भुगतान किया गया ।